

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 14 फरवरी, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद शेरकोट जनपद बिजनौर में पेयजलापूर्ति कार्य हेतु द्वितीय एवं अंतिम किशत की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), 30प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र सं0 196/नागर-2/033-410/16, दिनांक 19.09.2015 के संदर्भ में गुड़ों यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-730/नौ-5-14-54बजट/2013, दिनांक 28.02.2014 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद शेरकोट जनपद बिजनौर में पेयजलापूर्ति कार्य हेतु निर्धारित लागत रू0 44.38 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किशत के रूप में रू0 22.18 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, का व्यय हो जाने के आलोक में द्वितीय एवं अंतिम किशत के रूप में रू0 22.20 लाख (रू0 बाईस लाख बीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त विल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नहीं रक्की जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नहीं किया जायेगा।
- (3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।
- (4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।
- (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय पत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।
- (8) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
- (9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2217- शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-06-पेयजल हेतु व्यवस्था-35-पूजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आशा0 संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नक यथोक्त।

भयदीय

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-48/2017-410(1)/नौ-5-17-54बजट/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ/बिजनौर ।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- वित्त (ई-8) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग- 3/4
- 7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 8- मुख्य अभियंता (गुरा0 क्षे0), 30प्र0 जल निगम, मुरादाबाद।
- 9- अध्यक्ष/अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन
अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37- नगर विकास विभाग, वित्तीय वर्ष 2016-17

(धनराशि हजार ₹0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2217- शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान "योग	900000	2220	2220	2220	897780
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण	900000	2220	2220	2220	897780
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
7	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
8	9	10	11	12	
2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-06-पेयजल हेतु व्यवस्था-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान " योग	100000	102220	2220	2220	102220
स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-	100000	102220	2220	2220	102220

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

(1) पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

नागर निकायों के लिये पेयजल कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट अनुदान के परस्पर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आरोड़ संख्या- 449 -ई-8- 239 /दस-2017, दिनांक 10 फरवरी, 2017

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्यधिकारी,

नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द)

उप सचिव,

वित्त विभाग।

संख्या- 48 /2017- 410 (1)/नौ-5-17-/54बजट/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- महालेखाकार, (वर्ग लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ/ बिजनौर।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद शेरकोट जनपद बिजनौर।
- 7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 8- मुख्य अभियंता (मु0क्षे0), 30प्र0 जल निगम, गुरादाबाद।
- 9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (अग्र-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
- 10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्यधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-14/02/2017

प्रेषण संख्या:- 48
आवंटन आदेश संख्या:- 001-48-2017-410-9-5-17-54B-2013
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	2220000 399220000	2220000 399220000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2220000 399220000	2220000 399220000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया बाइस लाख बीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया उनचालीस करोड़ बानवे लाख बीस हजार

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी